बिहार सरकार

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना

पत्रांक– 585

प्रेषक,

डा० डी० के० शुक्ला, भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
बिहार, पटना

चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन,
(विश्वेश्वरैया परिसर), बेली रोड,
पटना–800015
फोन/फैक्स–0612–2545366

सेवा में,

1. मुख्य वन संरक्षक,
   कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार
2. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
3. निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण
4. सभी वन संरक्षक
5. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
6. वन कार्य नियोजना पदाधिकारी, पटना

पटना, दिनांक–03/7/2012

विषय : **संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना चलाने की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना प्रारम्भ की गयी है। वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना का अभिप्राय जनता को वन्यप्राणियों एवं उनके संरक्षण से सीधे जोड़ने से है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति, परिवार, प्रतिष्ठान अथवा संस्थान अपनी रूचि के अनुसार स्वेच्छा से चिड़ियाघर के किसी भी वन्यप्राणी को गोद ले सकेगा एवं एक निश्चित अवधि के लिए उसके आहार एवं रख–रखाव में होने वाले व्यय को वहन करेगा। गोद लेने वाले को उद्यान की ओर से कुछ विशिष्ट अधिकार एवं सुविधाएँ भी दी जायेगी। साथ ही उन्हें मान्यता देने के लिए उनके नाम को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा ताकि इस योजना से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक लोगों को उत्साहित किया जा सके। वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना का हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

अनुरोध करना है कि इसकी प्रति वन क्षेत्र पदाधिकारी स्तर तक परिचारित की जाय तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार अपने स्तर से भी करने की कृपा की जाय। इस योजना की स्वीकृति पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–वन्यप्राणी विविध–19/11–1694/ प0व0 दिनांक–04.06.12 द्वारा दी गयी है।

अनु0: यथोक्त।

विश्वासभाजन

3/7/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना

ज्ञापांक.................. दिनांक.................

प्रतिलिपि : सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार की जा रही है जिसे अनुमोदन हेतु अलग से भेजा जायेगा। माननीय उप मुख्य (पर्यावरण एवं वन) मंत्री, बिहार सरकार द्वारा 18 जुलाई 2012 को इस योजना के लोकार्पण की सहमति दी गयी है। कृपया समय निर्धारित कराना चाहेंगे।

3/7/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना

ज्ञापांक 585 दिनांक 03/7/2012

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना को विभागीय बेवसाईट में अपलोड करने की कृपा करें।

अनु0:-यथोक्त।

3/7/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना

ज्ञापांक 585 दिनांक 03/7/2012

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना को योजना की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

3/7/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना

ज्ञापांक 585 दिनांक 03/7/2012

प्रतिलिपि : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को योजना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना के लोकार्पण की सभी तैयारी समय से पूर्व कर ली जाय।

अनु0:-यथोक्त।

3/7/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना

प्रस्तावना

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार राज्य का एकमात्र एवं देश के 21 बड़े चिड़ियाघरों में एक है। इस चिड़ियाघर में 100 प्रजातियों के लगभग 1200 जानवर हैं। शेर, बाघ, गैंडा, तेंदुआ, हिप्पो, जिराफ, ज़ेबरा, घड़ियाल, भालू सरीखे जैसे महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं। चिड़ियाघरों का उद्देश्य न सिर्फ वन्यप्राणियों का संरक्षण मात्र है, अपितु इनके माध्यम से जनमानस को वन्यप्राणी संरक्षण से जोड़ना भी है।

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना का अभिप्राय जनता को वन्यप्राणियों एवं उनके संरक्षण से सीधे जोड़ने से है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति, परिवार, प्रतिष्ठान अथवा संस्थान अपनी रूचि के अनुसार स्वेच्छा से चिड़ियाघर के किसी भी वन्यप्राणी को गोद ले सकेगा एवं एक निश्चित अवधि के लिए उसके आहार एवं रख–रखाव में होने वाले व्यय को वहन करेगा। गोद लेने वाले को उद्यान की ओर से कुछ विशिष्ट अधिकार एवं सुविधाएँ भी दी जायेंगी। साथ ही उन्हें मान्यता देने के लिए उनके नाम को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि इस योजना से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक लोगों को उत्साहित किया जा सके। वन्यप्राणियों का रख–रखाव काफी मंहगा है। उदाहरणस्वरूप एक हाथी के पोषण एवं दवा में औसतन प्रतिमाह 35,000/– रूपये मात्र का व्यय है जबकि एक जिराफ के लिए यह 25,000/– रूपये मात्र है। इस उद्यान के प्राणियों के आहार एवं दवा आदि में प्रत्येक वर्ष पचहत्तर लाख रूपये मात्र से अधिक का व्यय आकलित है। इस योजना का उद्देश्य इन खर्चों में जनता की हिस्सेदारी के साथ–साथ वन्यप्राणियों के प्रति उनका भावनात्मक लगाव पैदा करना है। मैसूर, हैदराबाद, पूना, भोपाल आदि देश के अनेकों चिड़ियाघरों में यह योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है।

इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति/परिवार/संस्था/कम्पनी को दत्तकग्रहण की पूर्ण राशि एकमुश्त चेक/ बैंकर्स चेक/ डिमांड ड्राफ़्ट के रूप में निदेशक कार्यालय में ज़मा करनी होगी। प्राप्त राशि को उद्यान में प्राप्त अन्य राशि की भांति कोषागार में जमा कराया जायेगा। प्राप्त राशि की विवरणी अलग से संधारित की जायेगी।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

(वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना)

परिचय

153 एकड़ में फैले संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। इस उद्यान में 100 प्रजातियों के लगभग 1200 जानवर हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 18 लाख दर्शक भ्रमण करते हैं। यह उद्यान वन्यप्राणियों के संरक्षण के साथ–साथ दर्शकों में ज्ञान एवं जागरूकता पैदा करता है। गैंडा प्रजनन में इस उद्यान ने अग्रणी भूमिका अदा की है। 12 गैंडों के साथ अन्तःप्रजनन में देश में प्रथम होने का गौरव इसे प्राप्त है। यह उद्यान अत्यंत हरा–भरा है एवं लगभग 300 प्रजातियों के दस हजार से अधिक पेड़–पौधों का संरक्षण करता है। नौकायन, शिशु रेल, मछलीघर, साँपघर, शिशु उद्यान अन्य सुविधायें हैं जिसे दर्शक पसंद करते हैं।

दत्तकग्रहण क्यों करें?

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण, वन्यप्राणियों के प्रति व्यक्तिगत स्नेह और समर्थन दिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है। पसंदीदा प्राणी को दत्तकग्रहण कर व्यक्ति उसके आहार एवं रख–रखाव में योगदान करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति वन्यप्राणी संरक्षण मुहिम का एक हिस्सा बन जाते हैं।

यह उद्यान लुप्तप्रायः प्रजातियों के अन्तःप्रजनन एवं अन्य ऐसे कार्यक्रमों में लगा है जिसे प्रबुद्ध एवं जागरूक लोगों के समर्थन की आवश्यकता है।

अन्ततः वन्यप्राणी दत्तकग्रहण न सिर्फ गोद लेने वालों के लिए, अपितु उनके मित्रों एवं परिवार के लिए भी आनन्ददायी है। जन्म–दिन अथवा वर्षगाँठ के शुभ अवसर पर यह एक अपूर्व उपहार सिद्ध हो सकता है।

वन्यप्राणी प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। मानवीय उपेक्षाओं एवं भूलों के कारण इनकी संख्या काफी कम हो रही है। वन्यप्राणियों का दत्तकग्रहण कर हम प्रकृति को संरक्षित एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं।

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण कैसे करें।

- गोद लेने वाले व्यक्ति को अन्तिम पृष्ट पर अंकित सूची से अपने पसंदीदा वन्यप्राणी को चुनना है।
- गोद लेने वाले व्यक्ति को समर्थन के स्तर का चयन करना है।
- गोद लेने वाले व्यक्ति को संलग्न प्रपत्र के साथ देय राशि को मेलबॉक्स में डालना है अथवा निदेशक कार्यालय में सीधे जमा करना है।
- गोद लेने वाले व्यक्ति दत्तकप्राणी को अपने मित्र, सम्बन्धी, माता–पिता अथवा बच्चों को उपहार कर सकते हैं।

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण की शर्तें

1. कोई भी व्यक्ति/ परिवार/ व्यक्ति–समूह/ प्रतिष्ठान/संस्था/कम्पनी पूरे चिड़ियाघर के सभी पशु–पक्षियों (दत्तकग्रहण किए गए जानवरों को छोड़कर) को एक दिन के लिए दत्तकग्रहण कर सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति/ परिवार/व्यक्ति–समूह शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैंडा इत्यादि को 6 माह अथवा एक वर्ष के लिए दत्तकग्रहण कर सकता है जबकि कोई संस्थान/प्रतिष्ठान/कम्पनी 1/2/3/5 वर्ष के लिए दत्तकग्रहण कर सकता है।
3. कोई भी संस्थान/प्रतिष्ठान/कम्पनी वन्यप्राणी के विनिर्दिष्ट इंक्लोजर को 1/3 वर्ष के लिए दत्तकग्रहण कर सकता है।
4. दत्तकग्रहणकर्त्ता को विनिर्दिष्ट राशि निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान के पक्ष में पटना में भुगतेय चेक/बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।
5. प्रत्येक दत्तकग्रहणकर्त्ता को एक दत्तकग्रहण कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
6. उद्यान के सभी नियम/कानून दत्तकग्रहणकर्त्ता पर भी सामान्य रूप से लागू होंगे।
7. दत्तकग्रहणकर्त्ता को वन्यप्राणियों को छूने और उनके साथ खेलने तथा उनके इंक्लोजर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
8. दत्तकग्रहण किए गए वन्यप्राणियों की देखरेख पूर्व की भांति पशुपालकों द्वारा ही की जाएगी।
9. दत्तकग्रहणकर्ता को दत्तकग्रहण किए गए वन्यप्राणियों को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी और न ही इनके स्वामित्व का अधिकार होगा।
10. दत्तकग्रहण किए गए वन्यप्राणियों को आहार देने अथवा आहार में परिवर्तन करने का अधिकार दत्तकग्रहणकर्ता को नहीं होगा।
11. बीमार वन्यप्राणियों का ईलाज एवं देखरेख जू प्रशासन के द्वारा ही किया जाएगा और दत्तकग्रहणकर्ता को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।
12. दत्तकग्रहणकर्त्ता को चिड़ियाघर के प्रबंधन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा दबाव डालने का अधिकार नहीं होगा।
13. कोई भी व्यक्ति/ परिवार/ व्यक्ति–समूह/प्रतिष्ठान/संस्थान/कम्पनी चिड़ियाघर प्रशासन के अनुमति से ही किसी वन्यप्राणी का दत्तकग्रहण कर सकते हैं।
14. यदि दत्तकग्रहणकर्ता दत्तग्रहण के किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उद्यान प्रशासन को दत्तकग्रहण की राशि बिना लौटाए उनके दत्तकग्रहण के अधिकार को रद्द करने का अधिकार होगा।
15. योजना में अंकित सारी सुविधायें उपलब्धता के आधार पर दत्तकग्रहणकर्त्ता को दिया जाएगा।
16. यदि दत्तकग्रहण किये गये वन्यप्राणी की मृत्यु हो जाती है अथवा वह इस उद्यान से स्थानान्तरित हो जाता है तो दत्तकग्रहण की राशि दत्तकग्रहण की शेष अवधि के अनुपात में वापस की जाएगी अथवा दत्तकग्रहणकर्ता को अवशेष राशि के अनुसार अन्य उपलब्ध वन्यप्राणी दत्तकग्रहण करने का विकल्प होगा।
17. दत्तकग्रहण के लिए न्यूनतम राशि बीस हजार रूपये मात्र होगी।

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण योजना के तहत् दत्तकग्रहणकर्त्ता को दिए जाने वाले विषिष्ट अधिकार एवं सुविधाएँ।

स्तर	सुविधाएँ
एक दिवस (चिड़ियाघर के सभी वन्यप्राणी)	• वन्यप्राणी दत्तकग्रहण का प्रमाण–पत्र एवं जू–स्मारक दिया जाएगा। • चिड़ियाघर से प्रकाशित पुस्तिका आदि निःशुल्क दी जायेगी। • दत्तकग्रहणकर्त्ता का नाम प्रवेश द्वार पर 1.5 फीट X 1 फीट के पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा। • जू ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दस व्यक्तियों को आमंत्रण–पास। • दस व्यक्तियों के चिड़ियाघर, शिशु उद्यान, मछलीघर एवं मिनी ट्रेन की निःशुल्क सुविधा एक दिन के लिए (दत्तकग्रहण के दिन)। • चिड़ियाघर खुलने की अवधि में निदेशक द्वारा आवंटित स्थल पर निर्धारित शर्तों के अधीन बिना नियमों के उल्लंघन के मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति।
छः माह अथवा अधिक अवधि के लिए (व्यक्ति/ परिवार/ व्यक्ति–समूह/प्रतिष्ठान/ संस्था/कम्पनी के लिए)	• वन्यप्राणी दत्तकग्रहण का प्रमाण–पत्र एवं जू–स्मारक दिया जाएगा। • चिड़ियाघर से प्रकाशित पुस्तिका आदि निःशुल्क दी जायेगी। • जानवरगृह के समीप 3 फीट X 2 फीट के पट्ट पर दत्तकग्रहणकर्त्ता का नाम प्रदर्शित किया जाएगा। • दत्तकग्रहणकर्त्ता का नाम चिड़ियाघर के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा। • जू ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दस व्यक्तियों को आमंत्रण–पास। • व्यक्ति/ परिवार /व्यक्ति–समूह के संदर्भ में 06 निःशुल्क प्रवेश–पास तथा प्रतिष्ठान/संस्था/कम्पनी के संदर्भ में 12 निःशुल्क प्रवेश–पास चिड़ियाघर, शिशु उद्यान, मछलीघर, मिनी ट्रेन भ्रमण के लिए, दत्तकग्रहण अवधि में अनुमान्य। • चिड़ियाघर खुलने की अवधि में निदेशक द्वारा आवंटित स्थल पर निर्धारित शर्तों के अधीन बिना नियमों के उल्लंघन के मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति, दत्तकग्रहण अवधि में अनुमान्य। • सम्पूर्ण इंक्लोजर दत्तकग्रहण की स्थिति में दत्तकग्रहणकर्त्ता को इंक्लोजर के चारो ओर 3 फीट X 2 फीट के पट्ट, अधिकतम तीन, प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। विषय–वस्तु निदेशक द्वारा अनुमोदित होगा।

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण आवेदन–प्रपत्र

1– व्यक्ति / परिवार / व्यक्ति–समूह / प्रतिष्ठान / संस्थान / कम्पनी का नाम एवं पताः

2– चुने गए वन्यप्राणी / वन्यप्राणी इंक्लोजर का नामः–
(पूरा चिड़ियाघर दत्तकग्रहण की स्थिति में लिखें 'पूरा चिड़ियाघर')

3– दत्तकग्रहण की अवधिः–

4– राशिः–

5– भुगतान का तरीकाः–

6– वन्यप्राणी इंक्लोजर अथवा प्रवेश द्वार के निकट पट्ट पर प्रदर्शित किया जानेवाला सामग्री–

7– प्रवेश–पास, जिनके पक्ष में निर्गत करना होः–

8– सम्पर्क विवरणी (दूरभाष / मोबाईल / ई–मेल आई.डी.):–

9– PAN/TAN संख्याः–

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैंने दत्तकग्रहण के सभी शर्तों एवं निदेशों को पढ़ा और समझा है तथा सभी शर्तों को स्वीकार करता / करती हूँ।

मैं उक्त दत्तकग्रहण .... के नाम में करना चाहता / चाहती हूँ।

दिनांकः–
स्थानः– हस्ताक्षर

वन्यप्राणी दत्तकग्रहण शुल्क

योजना (क)– व्यक्ति विशेष/परिवार अथवा व्यक्तियों के समूह (अधिकतम पाँच) के लिए।

दत्तकग्रहण के लिए वन्यप्राणियों की सूची।

क्रम सं०	नाम/वन्यप्राणी की प्रजाति (एक वन्यप्राणी के लिए दर)	छः माह (रू०)	एक वर्ष (रू०)
1	हाथी	150000	225000
2	जिराफ	120000	180000
3	गैंडा	100000	150000
4	हिप्पोपोटामस	100000	150000
5	शेर	100000	150000
6	बाघ	100000	150000
7	हिमालयन भालू	50000	75000
8	स्लोथ बेयर	50000	75000
9	उद्‌बिलाव	50000	75000
10	तेंदुआ	50000	75000
11	जेबरा	50000	75000
12	कैश्वरी	25000	37500
13	गोल्डेन कैट	20000	30000
14	जंगल कैट	20000	30000
15	लैपर्ड कैट	20000	30000

योजना (ख)– प्रतिष्ठान /संस्थान /कम्पनी के लिए।
(एक वन्यप्राणी के लिए दर)

क्रम सं०	नाम/वन्यप्राणी की प्रजाति	एक वर्ष (रू०)	दो वर्ष (रू०)	तीन वर्ष (रू०)	पाँच वर्ष (रू०)
1	हाथी	385000	582200	759400	957100
2	जिराफ	275000	415900	542500	683600
3	गैंडा	198000	299400	390600	492200
4	हिप्पोपोटामस	198000	299400	390600	492200
5	शेर	198000	299400	390600	492200
6	बाघ	198000	299400	390600	492200
7	हिमालयन भालू	110000	166400	217000	273400
8	स्लोथ बेयर	110000	166400	217000	273400
9	उद्‌बिलाव	110000	166400	217000	273400
10	तेंदुआ	110000	166400	217000	273400
11	जेबरा	110000	166400	217000	273400

योजना (ग)– अपने मनपसन्द इंक्लोजर को दत्तकग्रहण करने के लिए।
(केवल प्रतिष्ठान /संस्थान /कम्पनी के लिए)

क्रम सं०	जानवर की प्रजाति/नाम	एक वर्ष (रू०)	तीन वर्ष के लिए (रू०)
1	चिल्डन्स पार्क से निकट मयर इंक्लोजर	100000	248600

2	सारस क्रेन इंक्लोजर (मुख्य सड़क पर तीन के ग्रुप में)	100000	248600
3	पेलिकन इंक्लोजर मुख्य सड़क पर।	150000	372000
4	घड़ियाल नर्सरी	200000	497200
5	बंदर इंक्लोजर	300000	745800
6	तेंदुआ इंक्लोजर	300000	745800
7	लंगूर इंक्लोजर	200000	497200
8	एमू इंक्लोजर	100000	248600
9	सियार इंक्लोजर	100000	248600
10	बार्किंग डीयर इंक्लोजर	100000	248600
11	हॉगडीयर इंक्लोजर	100000	248600
12	चीतल इंक्लोजर	300000	745800
13	उद्‌बिलाव इंक्लोजर	240000	596600
14	कछुआ इंक्लोजर	100000	248600
15	कृष्णमृग इंक्लोजर	500000	1243000
16	जेबरा इंक्लोजर	200000	497200
17	सांभर इंक्लोजर	300000	745800
18	जिराफ इंक्लोजर	800000	1988800
19	घड़ियाल इंक्लोजर	250000	621500
20	काला बंदर इंक्लोजर	300000	745800
21	चिड़िया इंक्लोजर (ऑटर केज के बगज में)	75000	186450
22	चिड़िया इंक्लोजर (उद्‌बिलाव इंक्लोजर के सामने)	100000	248600

योजना (घ)– एक दिन के लिए पूरा चिड़ियाघर दत्तकग्रहण करने के लिए।

(वैसे जानवरों को छोड़कर जिनका दत्तकग्रहण अन्य योजनाओं में किया जा चुका है)

Rs. 25000/- (पचीस हजार रूपये)

अभियुक्तिः–

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार द्वारा समय–समय पर वन्यप्राणी दत्तकग्रहण का दर संशोधित किया जा सकेगा। यद्‌पि नये दर भावी तिथि से प्रभावी होंगे।

2 एक प्रजाति के एक से अधिक वन्यप्राणी चिड़ियाघर मे दत्तकग्रहण हेतु उपलब्ध हैं। दत्तकग्रहण करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान को किसी विशेष वन्यप्राणी को उसके नाम से दत्तकग्रहण करने की स्वतंत्रता होगी।

2/7/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
–सह– मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,

Animal Adoption Scheme

PREAMBLE

Sanjay Gandhi Biological Park, Patna is one of the 21 large zoos of the country and the only one in the state of Bihar. This zoo has approximately 1200 animals of 100 species. Important species are lion, tiger, rhinoceros, leopard, hippopotamus, giraffe, zebra, gharial and bear. The objective of zoos is not only the conservation of wild animals but also to associate people with wildlife conservation.

Animal adoption scheme is intended to associate the people directly with wild animals and their conservation. Any individual, family, firm or institution can voluntarily adopt any wild animal of the zoo as per their interest and can contribute to the expenses on its feed and upkeep for a fixed period. The adopter will be extended some privileges and facilities by the zoo. At the same time their name will be displayed prominently to give them recognition and to inspire more and more people to become part of this scheme. The upkeep of wild animals is very costly. For example feed and medical care of an elephant costs on an average rupees 35,000/- only per month whereas this is rupees 25,000/- only for giraffe. The expenditure on feed and medicines for animals of the park is estimated to be more than rupees seventy five lakhs per annum. The scheme intends to share this responsibility with public along with strengthening their emotional bonding with wildlife. This scheme is running successfully in many zoos of the country like Mysore, Hyderabad, Pune, Bhopal etc.

The individual/family/firm/institution being associated with the scheme will have to deposit the entire adoption amount vide cheque/bankers cheque/demand draft in the office of the director. The amount so received will be deposited in the treasury like other revenue receipts of the zoo and the details shall be maintained separately.

Sanjay Gandhi Biological Park, Patna
(Animal Adoption Scheme)

Introduction

Sanjay Gandhi biological park, Patna, spread over 153 acres, was established in the year 1969. There are almost 1200 animals of 100 species in this park. The park is visited by almost 18 lakhs visitors every year. This park apart from wildlife conservation creates awareness and knowledge in the visitors. This park has played premiere role in rhinoceros breeding. With 12 rhinoceros, it enjoys the first position in captive breeding in the country. This park is very green and conserves more than 10000 plants of almost 300 species. Boating, toy-train, aquarium, snake house, children park are other facilities liked the visitors.

Why to adopt?

Animal adoption is the most effective way to show one's affection and support for the cause of wildlife. One contributes towards feed and upkeep of your favourite animal by adopting it. In this way one becomes a part of movement for wildlife conservation.

This park has been engaged in captive breeding of vulnerable species and other such programme which need support of intellectual and aware people.

Lastly animal adoption gives pleasure not only to the adopter but his friends and family too. This can be an unforgettable gift on the occasion of birthday or anniversary.

Wildlife is priceless gift of nature. Its number is dwindling due to human negligence and follies. We can protect nature and promote human values by adopting wild animals.

How to make wild animal adoption?

- The adopter has to choose his/her favourite wild animal from the list on the last page.
- The adopter has to choose his/her the level of support.
- The adopter has to fill up the attached form and deposit in the mailbox or director's office with payable amount.
- The adopter can gift the adopted animal to his/her friend, relative, parents or children.

Conditions for animal adoption

1. Any individual/family/group of individuals/firm/institution/company can adopt all the animals of the zoo (except the animals already adopted) for one day.

2. Any individual/family/group of individuals can adopt lion, tiger, leopard, elephant, rhinoceros etc. for six months or one year whereas any institution/firm/company can adopt for one/two/three/five years.

3. Any institution/firm/company can adopt specified enclosures of animals for one/three years.

4. The adopter shall deposit the specified amount vide cheque/bankers cheque/demand draft in favour of Director, Sanjay Gandhi Biological Park, payable at Patna.

5. Every adopter shall be given adoption card.

6. The rules/laws of the park shall apply to animal adopters in normal way.

7. The animal adopters will not be allowed to touch and play with animals and enter into animal enclosures.

8. Adopted animals will be taken care of by the animal keepers only as usual.

9. The adopters will never be permitted to take adopted animals out and he shall have no right on its ownership.

10. The adopters will have no right to feed or change the food composition of the adopted animals.

11. The ill animals will be treated by the zoo authorities and the adopter shall not be permitted to interfere.

12. The adopters shall have no right to interfere into or pressurise the management of zoo.

13. Any individual/family/group of individuals/firm/institution/company can adopt any animal with the permission of zoo administration only.

14. If the adopter violates any rules regarding adoption then the zoo authority shall have right to cancel the adoption rights without any refund of adoption fee.

15. The adopter will be extended the benefits under scheme only subject to availability.

16. If the adopted animal dies or gets transferred from this zoo then the proportionate amount based on left over period of adoption shall be refunded or the adopter shall be given the option of choosing another animal for adoption as per the balance amount.

17. The minimum amount for adoption will be rupees twenty thousand only.

Facilities/privileges extended to the adopter under Animal Adoption Scheme

Level	Facilities/Privileges
For one day (All animals of the zoo)	• Certificate of animal adoption and zoo-souvenir shall be given • Booklet etc. published from zoo shall be given free of cost • The name of adopter shall be displayed at the entry gate on a board of size 1.5 feet * 1.0 foot • Passes for participation into zoo orientation programme for 10 people • Free entry for 10 persons in zoo, children park, aquarium and mini train for 1 day (the day of adoption) • Permission to host a get-together in the zoo premises in zoo-hours at a place allotted and subject to conditions put by the director without violating zoo rules (on the day of adoption)
For six months or more. (applicable for individuals/family/ group of individuals as well as firm/institution/ company	• Certificate of animal adoption and zoo-souvenir shall be given • Booklet etc. published from zoo shall be given free of cost • The name of adopter shall be displayed near the enclosure on a board of size 3.0 feet * 2.0 feet • Name of the adopter shall be included in the animal report of the zoo. • Passes for participation into zoo orientation programme for 10 people • 6 free entry passes in case of individual/family/ group of individuals and 12 entry passes in case of firm/institution/company in zoo, children park, aquarium and mini train valid during period of adoption • Permission to host a get-together in the zoo premises in zoo-hours at a place allotted and subject to conditions put by the director without violating zoo rules, valid during period of adoption • In case of adoption of complete enclosure the adopter shall be permitted to put display of size 3.0 feet * 2.0 feet on different sides of the enclosure, maximum three in number. Content shall get approved by the director.

Animal Adoption Application-form

1- Name and address of individual/family/group of individuals/firm/ institution/ company –

2- Name of selected animal/enclosure –

(If whole zoo is adopted, write whole zoo)

3- Period of adoption –

4- Amount –

5- Mode of payment –

6- Matter to be displayed on the board at the entry gate or in front of animal enclosure –

7- Entry passes to be issued in the name of –

8- Contact details (phone/mobile/email id) –

9- PAN/TAN No. –

I certify that I have read and understood all the instructions and conditions and accept all of those.

I want to make adoption in the name of ……………………………

Date –

Place - Signature

Animal Adoption Fee

Scheme (A) – For individual, family or group of individuals (maximum five)

Animals for adoption

Sl No.	Name/species of animal (Rates are for a single animal)	Six months (Rs.)	One year (Rs.)
1	Elephant	150000	225000
2	Giraffe	120000	180000
3	Rhinoceros	100000	150000
4	Hippopotamus	100000	150000
5	Lion	100000	150000
6	Tiger	100000	150000
7	Himalayan bear	50000	75000
8	Sloth bear	50000	75000
9	Otter	50000	75000
10	Leopard	50000	75000
11	Zebra	50000	75000
12	Cassowary	25000	37500
13	Golden cat	20000	30000
14	Jungle cat	20000	30000
15	Leopard cat	20000	30000

Scheme (B) – For firm/institution/company

Sl No.	Name/species of animal	One year (Rs.)	Two years (Rs.)	Three years (Rs.)	Five years (Rs.)
1	Elephant	385000	582200	759400	957100
2	Giraffe	275000	415900	542500	683600
3	Rhinoceros	198000	299400	390600	492200
4	Hippopotamus	198000	299400	390600	492200
5	Lion	198000	299400	390600	492200
6	Tiger	198000	299400	390600	492200
7	Himalayan bear	110000	166400	217000	273400
8	Sloth bear	110000	166400	217000	273400
9	Otter	110000	166400	217000	273400
10	Leopard	110000	166400	217000	273400
11	Zebra	110000	166400	217000	273400

Scheme (C) – To adopt favourite enclosure

(For firm/institution/company only)

Sl No.	Name/species of animal	One year (Rs.)	Three years (Rs.)
1	Peacock enclosure near children park	100000	248600
2	Sarus crane enclosures(group of three on main road)	100000	248600
3	Pelican enclosure on main road	150000	372900
4	Gharial nursery	200000	497200
5	Monkey enclosure	300000	745800
6	Leopard enclosure	300000	745800
7	Langur enclosure	200000	497200
8	Emu enclosure	100000	248600
9	Jackal enclosure	100000	248600
10	Barking deer enclosure	100000	248600
11	Hog deer enclosure	100000	248600
12	Spotted deer (Cheetal) enclosure	300000	745800
13	Otter enclosure	240000	596600
14	Turtle enclosure	100000	248600
15	Black buck enclosure	500000	1243000
16	Zebra enclosure	200000	497200
17	Sambhar enclosure	300000	745800
18	Giraffe enclosure	800000	1988800
19	Gharial enclosure	250000	621500
20	Lion tailed macaque enclosure	300000	248600
21	Birds enclosure near otter cage	75000	186450
22	Bird enclosure opposite otter cage	100000	248600

Scheme (D) – To adopt the whole zoo for one day

(Except those animals which have been adopted in other schemes)

Rs. 25000/- (Rupees twenty five thousand)

Remarks – 1. Principal Chief Conservator of forest, Bihar and Additional Principal Chief Conservator of Forest-cum-Chief Wildlife Warden, Bihar can revise the rates for animal adoption from time to time. However the new rates shall apply only prospectively.

2. More than one animal of same species are available in the zoo for adoption. Individuals/firms going for adoption will have freedom to adopt any particular animal by its name.

Additional Principal Chief Conservator of Forest

-Cum-Chief Wildlife Warden, Bihar